Email 09/08/18

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर

Phone/Fax No. 07781-252228 (O), 252232 (R), E-mail - dfonpur1@gmail.com/ dfo-narayanpur.cg@gov.in

क्रमांक/मा0चि0/ 4540 नारायणपुर,दिनांक 09/08/2018

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ ईन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी,
तृतीय तल स्टेट डाटा सेन्टर बिल्डिंग
सिविल लाईन , रायपुर (छ0ग0)

विषय :— **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposed land for Bastar Net Project is about creating an potical fibe backbone network to boost the internet and telecome conectivity in Narayanpur Division , area 0.854 ha. regarding .**
Registration No. FP/CG/Other/27433/2017

संदर्भ :— (1) छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 7—3/2018/10—2 दिनांक 26.05.2018

(2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू प्रबंध/वं सं अ) का पत्र क्रमांक /भू—प्रबंध/ विविध /115—694 /1113 दिनांक 07.04.2018 एवं पत्र क्रमांक /भू—प्रबंध/ विविध 115—694 द/1819 रायपुर दिनांक 15.06.2018

—:00:—

विषयांतर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर छ0ग0 शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर का पत्र क्रमांक /एफ—7—3/2018/10—2 रायपुर दिनांक 26.05.2018 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोंपरांत एतद् द्वारा नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमण्डल अंतर्गत 0.854 हे0 वनभूमि में भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन सिविल लाईन रायपुर छ0ग0 को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :—

6—(i) छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर का पत्र क्रमांक एफ—7—3/2018/10—2 दिनांक 26.05.2018 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण की सीमा के बाहर मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षों की कटाई के प्राप्त प्रस्तावों में निर्धारित साईज (2मी0 गहराई एवं 1 मीटर चौड़ाई) खंती हेतु अनुमति दी गई है।

(ii) वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही दी जाती है। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे —किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।

(iii) वन भूमि पर भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल /भूमिगत टेलीफोन लाईन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 1 मीटर चौडा से अधिक नहीं होगा ।

(iv) वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा ।

(v) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोडकर अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जाएगा।

(vi) कार्य उपरान्त रखरखाव की अनुमति वनमण्डलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जिसमें खंती की खुदाई के उपरान्त समतलीकरण की शर्त शामिल रहेगी।

(vii) समतलीकरण का कार्य आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं की व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से किया जाएगा।

(viii) समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी /पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा।

(ix) खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुचाई जाएगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।

(x). यदि आवेदक /आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुचाई जाती है , तो वन मण्डलाधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।

(xi). आवेदक /आवेदक संस्थान से लिखित में वचन पत्र देगे कि यदि भविष्य में भारत सरकार , राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्ते उन्हे मान्य होगी।

(xii). प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप आप्टिकल फायवर केवल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जावेगा।

(xiii). स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदन कर्ता द्वारा वनमण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रहे वनभूमि का Damage Control हो सके।

(xiv) आवेदक संस्थान वनमण्डलाधिकारी नारायणपुर के पूर्व अनुमति के विना रखरखाव का कार्य नहीं करेगा ।

(xv). वन भूमि हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागु होने वाले समस्त नियमों विनियमों एवं दिशानिर्देशों के शर्तो का पालन किया जाएगा ।

(xvi). बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन मान जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर को आवेदक संस्था निवेदन करेंगे।

(xvii). क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्य जीव (Flora & Fauna) के संरक्षण/ विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

वनमण्डल कार्यालय में उपर्युक्त शर्तो की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही प्रकरण पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जावेगा । जब तक यह वनमण्डल द्वारा औपचारिक अनुमोदन जारी नही किया जायेगा तब तक वनभूमि पर कोई कार्य करने की अनुमति नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी,
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

क्रमांक/मा0चि0/ 4541 नारायणपुर,दिनांक 09/08/2018

प्रतिलिपिः–

(01) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे.) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ग्राउण्ड फ्लोर ईस्टर्न विंग, न्यू सेकेटेरियट बिल्डिंग VCA स्टेडियम के सामने सिविल लाईन नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(02) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर –19 नार्थ ब्लाक, केपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(03) मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(04) कलेक्टर जिला– नारायणपुर की ओर सूचनार्थ ।

(05) उपवनमण्डलाधिकारी उत्तर/दक्षिण उपवनमण्डल एवं परिक्षेत्र अधिकारी नारायणपुर /बेनूर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी,
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

E-despatch
09/08/18